न्यायालय विशेष न्यायाधीश, (आवश्यक वस्तु अधि0)/अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0–4,बरेली।
फाइलिंग नं0–4180/2021
सी0आई0एस0 नम्बर 688/21

राज्य प्रति आशिफ ।
धारा– 135 विद्युत अधिनियम
अपराध सं0 – 515/18
थाना– बिथरी चैनपुर जनपद बरेली ।

10.07.2021 **आदेश**

पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई। परिवादी उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड के नामित अधिवक्ता उपस्थित हैं। मामले की प्राथमिकी **थाना बिथरी चैनपुर** जिला बरेली उपरोक्त मामले में प्रथम सूचना कर्ता द्वारा उपरोक्त अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्त धारा के अन्तर्गत पंजीकृत करायी गयी थी। विवेचनोपरान्त विवेचक द्वारा अन्तिम आख्या प्रेषित की गयी है।

प्रथम सूचना कर्ता को नोटिस जारी किया गया। नोटिस निर्गत किए जाने के उपरान्त वादी/अधिशासी अभियंता द्वारा न्यायालय में इस आशय का प्रार्थनापत्र पेश किया गया कि अभियुक्त ने उपरोक्त अपराध में विद्युत विभाग के साथ विवाद का शमन कर लिया है और विभाग में शमन शुल्क जमा कर दिया है। विवेचक द्वारा उक्त प्रकरण में अंतिम आख्या प्रस्तुत की गयी है। वादी/विद्युत विभाग को अंतिम आख्या के विरूद्ध कोई आपत्ति नहीं है और न ही कोई अग्रिम कार्यवाही करनी है। अतएव अंतिम आख्या स्वीकार करने की कृपा की जाये।

विद्युत विभाग के नामित अधिवक्ता **श्री अनूप श्रीवास्तव** ने भी मामले में अंतिम आख्या स्वीकार करने का आदेश पारित करने का अनुरोध किया है।

केस डायरी पर उपलब्ध समस्त सामग्रियों का गंभीरतापूर्वक परिशीलन किया। केस डायरी पर उपलब्ध सामग्रियों के परिशीलन से विदित होता है कि अभियुक्त के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत होने के उपरान्त विवेचक द्वारा अंतिम आख्या इस आधर पर प्रस्तुत की गयी कि अभियुक्त ने विद्युत विभाग के साथ विवाद का शमन कर लिया है और इसी आधार पर विवेचक ने अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की है। अभियुक्त ने विभाग में शमन शुक्ल जमा कर दिया है। ऐसी परिस्थितियों में विवेचनाधिकारी द्वारा प्रेषित अन्तिम रिपोर्ट न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत मामले में विवेचक द्वारा प्रस्तुत अंतिम आख्या स्वीकार की जाती है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनॉकः 10.07.2021

(अंगद प्रसाद II)
विशेष न्यायाधीश, (आवश्यक वस्तु अधि0)/
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0–4
बरेली।

Digitally signed by Angad Prasad II
Date: 2021.07.06 12:44:03 AMT
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court